फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा

केस संख्या 54/20 प्रा.प्र. T+

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16-3	[illegible] 31-3 [illegible]
	31-3	वकील [illegible] मूल प्रा.पत्र 09 R13 CPC खारिज को [illegible] है। अब इस प्रा.पत्र T+ का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा.पत्र T+ खारिज किया जाता है। [illegible] फैसले [illegible] लेकर रिकार्ड से [illegible]। मूल प्रा.पत्र के साथ [illegible] करे।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.